न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 44/2014 (जीसीएमएस **नम्बर 2014/00036**)

1. शिव कुमार पुत्र श्री जगदीश
2. शिम्भुदयाल पुत्र जगदीश
3. शिवदत्त पुत्र जगदीश

समस्त जातियान ब्राह्मण, निवासीयान वाटिका भैरो का मौहल्ला, अमरसर रोड, अजीतगढ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान हाल आबाद ग्राम रामपुरा तह0 कोटपूतली जिला जयपुर राजस्थान।

–अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्रीमान तहसीलदार साहब कोटपूतली, जिला जयपुर राजस्थान ।
2. सावित्री देवी पत्नी ग्यारसी लाल
3. सत्यनारायण पुत्र ग्यारसी लाल
4. अनिल पुत्र ग्यारसी लाल
5. सुशीला पुत्री ग्यारसी लालू
6. मन्जू पुत्री ग्यारसी लाल
7. संतोष पुत्री ग्यारसी लाल
8. बबली पुत्री ग्यारसी लाल
9. पुष्पा देवी पत्नी महेश चन्द शर्मा
10. बाबूलाल पुत्र महेश चन्द
11. राजेश पुत्र महेश चन्द
12. ललित पुत्र महेश चन्द
13. सुनीता पुत्री महेश चन्द
14. सविता पुत्री महेश चन्द

समस्त जातियान ब्राह्मण निवासीयान डांगी मौहल्ला, अजीतगढ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।

–रेस्पोन्डेन्ट्स

15. श्रीमती कमला देवी पत्नी स्व. जगदीश प्रसाद शर्मा जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम अजीतगढ तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर राजस्थान हाल आबाद ग्राम रामपुरा, तह0 कोटपूतली जिला जयपुर राजस्थान

–तरतीबी रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 विरूद्ध आदेश तहसीलदार कोटपूतली दिनांक 26.08.2013 बाबत नामान्तकरण संख्या 447, वाके मौजा रामपुरा, तहसील कोटपूतली

उपस्थित–

1. श्री कल्याण सहाय अग्रवाल, वकील अपीलान्ट ।
2. श्री हेमन्त दीक्षित, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 7 की ओर से।
3. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से

निर्णय

दिनांक –27.02.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार कोटपूतली जिला जयपुर के निर्णय दिनांक 26.08.2013 के खिलाफ प्रस्तुत प्रा. पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 05.03.2014 को प्रस्तुत हुई है।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 14 ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम रामपुरा में खाता संख्या 227 किता 40 रकबा 8.36 हैक्टेयर है। जिसमें हरसहाय पुत्र आनन्दीलाल कौम ब्राहमण सा. देह रामपुरा के दत्तक पुत्र श्रीनारायण पुत्र गंगासहाय के वारिसों के विरासत का नामान्तरकरण दर्ज करवाने का निवेदन किया गया। दिनांक 16.07.2013 को तहसीलदार कोटपूतली ने दिनांक 16.07.2013 को पटवारी हल्का पण्डितपुरा को आदेश दिये गये कि मुताबिक मृत्यु प्रमाण पत्र एवं तहसीलदार श्रीमाधोपुर एवं ग्राम पंचायत अजीतगढ से प्राप्त वारिस प्रमाण पत्रों के मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड में विरासत का नामान्तकरण दर्ज कर फैसल करावें। तहसीलदार कोटपूतली जिला जयपुर ने दिनांक 26.08.2013 से विवादित भूमि का नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 14 के नाम खोल दिया गया।

3. तहसीलदार कोटपूतली जिला जयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 26.08.2013 से व्यथित होकर अपीलान्ट शिव कुमार पुत्र श्री जगदीश व अन्य द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश तहसीलदार कोटपूतली दिनांक 26.08.2013 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस में मुख्य रूप से कथन किया कि यह कि आराजी खसरा नम्बर 434 /1033/0.09, 436/0.22, 437/0.35, 438/0.19, 439/0.13, 440/0.11, 441/0.03, 447/0.25, 448/0.22, 449/0.46, 450/0.10, 451/0.30, 452/0.17, 453/0.16, 454/0.26, 455/0.27, 456/0.19, 457/0.03, 458/0.09, 458/0.09, 459/0.60, 459/0.60, 460/0.53, 461/0.15, 462/0.08, 463/0.30, 464/0.14, 465/0.27, 466/0.30, 467/0.23, 469/0.26, 470/0.18, 471/0.07, 472/0.08, 473/0.12, 474/0.07, 475/0.28, 476/0.21, 477/0.23, 478/0.21, 479/0.17, 480/0.26 कुल किता 40 कुल रकबा 8.36 हैक्टेयर वाके मौजा रामपुरा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर राजस्थान में स्थित है, जिसका रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हरसाय पुत्र आनन्दी लाल जाति ब्राह्मण था। रेस्पोन्डेंट ने सजरा खानदान नारायण पुत्र स्व० श्री गंगासहाय है व नारायण अपने पिता के इकलोता पुत्र था, और श्री नारायण अपने आपको हरसहाय पुत्र आनन्दीलाल के गोद जाना बताता है, जो गलत है,, जमाबंदी ग्राम मानगढ पर पटवार हल्का अजीतगढ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में खसरा नम्बर 53 व 54 में नारायण पुत्र गंगासहाय का हिस्सा 1/2 बताया है। इसमें भी कहीं गोद पुत्र नहीं बताया गया है व ग्राम पंचायत अजीतगढ पंचायत समिति श्रीमाधोपुर जिला सीकर के सरंपच ने प्रमाण पत्र जारी किया है कि उसमे जगदीश दत्तक पुत्र हरसहाय पुत्र मुरलीधरबताया गया है। दिनांक 7.6.1958 ग्राम पंचायत भोणावास के सरपंच ने भी जगदीश को हरसहाय के गोद जाना बताया है। जबकि अपीलांट का हर सहाय पुत्र आनन्दीलाल पुत्र बिजराम, बिजराम पुत्र गिरधारी सजरा खानदान श्रीनारायण को अप्रार्थी संख्या 1 ने श्री नारायण पुत्र दत्तक पुत्र हरसहाय बताकर गलत नामान्तकरण खोल दिया, जबकि जगदीश प्रसाद पुत्र दत्तक पुत्र हरसहाय के नामान्तकरण खोला जाना चाहिये था। जबकि श्री नारायण हरसहाय पुत्र आनन्दी लाल व आनन्दी लाल पुत्र बिजराम की पीढी से पीढी व सजरा खानदान से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। हरसहाय पुत्र आनन्दी लाल पुत्र बिजराम के कोई जायन्दा औलाद नहीं थी, इस कारण उसके भाई मुरलीधर के लडके जगदीश को उसने गोद ले लिया था और जगदीश ने ही अपने जीवनकाल में उसकी सेवा–टहल की और उसकी मृत्यू के बाद उसका अतिंम संस्कार व क्रियाकर्म पुत्र की हैसियत से किया और वो ही उसकी समस्त चल–अचल सम्पति का एकमात्र विधिक वारिस दत्तक पुत्र की हैसियत से हुआ। जगदीश के मरने के बाद अपीलाण्ट्स व तरतीबी रेस्पोडेण्ट बहैसियत उत्तराधिकारी जगदीश उपरोक्त आराजी खसरा नम्बरान पर बतौर मालिक काबिज हुये। उपरोक्त आराजी मुतदाविया

संभागीय आयुक्त
जयपुर

में हरसहाय पुत्र आनन्दीलाल के फौत होने के उपरान्तु उनके दत्तक पुत्र जगदीश प्रसाद शर्मा ने राजस्व रिकार्ड में बतौर उत्तराधिकारी वारिसान स्वयं का नाम दर्ज नहीं कराया, जिसका फायदा उठाकर रेस्पोण्डेंट संख्या 2 लगायत 14 ने रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से साज बाज होकर बिना किसी अधिकार के स्वयं के नाम दिनांक 26.08.2013 को उपरोक्त समस्त आराजी मुतइदाविया का विरासत इन्तकाल स्वंय के नाम खुलवा लिया, जबकि उनका दूर दूर तक हरसहाय पुत्र आनन्दीलाल पुत्र बिजराम से किसी भी प्रकार का ना तो कोई भाईचारा है ना ही कोई नातेदारी रिश्तेदारी है और ना ही कोई ताल्लुक वास्ता है। जबकि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 को भी नामान्तकरण विरासत खोलते समय उपरोक्त तथ्यों की जांच करनी चाहिये थे, लेकिन उन्होने भी तथ्यों की जांच ना कर मनमर्जी से आपस मे साज बाज होकर नामान्तकरण खोल दिया, जिसकी जानकारी अब रेस्पोडेण्ट संख्या 2 लगायत 14 द्वारा गुर्जर जाति के लोगों को नुमायशी विक्रय पत्र कर देने के कारण उनके द्वारा जमीन का कब्जा लेने आने पर अपीलान्ट्स को हुई, जिस पर अपीलान्ट्स ने पटवारी हल्का से उक्त आराजीयात को जमाबंदी की नकल दिनांक 30.09.2013 को प्राप्त की तथा जानकारी होने व जमाबन्दी की नकल प्राप्त होने से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपीलान्ट्स को उक्त गलत विरासत नामान्तकरण की जानकारी होते ही उन्होने तुरन्त रेस्पोडेण्ट संख्या 2 लगायत 14 से कहा कि तुम तो हरसहाय पुत्र आनन्दीलाल के दूर दूर तक ना तो रिश्तेदारी – नातेदारी में हो, ना ही भाईचारे में हो, ना ही वंश में हो, तमने किस अधिकार से इनकी आराजी खसरा नम्बरान में विरासत नामान्तकरण खुलवा लिया और तुरन्त राजस्व कार्यालय में चलकर उक्त विरासत नामान्तकरण को निरस्त करवाओ, जिससे कि हमारे नाम उक्त नामान्तकरण विरासत खुलवाये तो रेस्पोडेण्ट संख्या 2 लगायत 14 ने ऐलानियां धमकाते हुये कहा कि हमारी हल्का पटवारी व उपर तक पहुंच है और हमने उस पहुंच का फायदा उठाकर शिम्भुदयाल शर्मा नामान्तकरण खुलवा लिया है और नामान्तकरण खुलवाकर कुछ जमीन बेचकर पैसे भी कमा लिये है, हम ना तो नामान्तकरण निरस्त करवायेगें और ना ही तुम्हारे नाम खुलवायेगें, तुम्हारे मन में आये जो करो। इसलिये न्यायालय हाजा के समक्ष उक्त अपील पेश करना लाजिम आया। रेस्पोडेण्ट संख्या 2 लगायत 14 का उपरोक्त आराजी मुतदाविया से किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। हरसहाय पुत्र आनन्दीलाल पुत्र बिजराम के अपीलान्ट्स एव तरतीबी रेस्पोडेंट ही विधिक वारिस है, इसलिए न्यायहित में रेस्पोडेण्ट संख्या 2 लगायत 14 का नाम रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के द्वारा जो विरासत का नामान्तकरण स्वीकृत किया जाकर उसको निरस्त फरमाया जाकर अपीलाण्ट्स व तरतीबी रेस्पोडेण्ट के पक्ष मे नामान्तकरण खोला जाना न्यायहित में है । अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट्स द्वारा राजस्व मण्डल राजस्थान का निर्णय प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसलिए इस पर विचार नहीं किया जा सकता। मातमी हरसहाय पुत्र रामनाथ की पेश की गई है न कि हरसहाय पुत्र आनन्दी की पेश की गई है। हमारा इकरारनामा विधिवत पंजीबद्ध है रेस्पोडेन्ट्स द्वारा इसकी 1952 से आज तक भी कोई चाराजोई नहीं की है। इसलिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत भी यह वैध है। हमने विधिवत जमाबन्दी की नकल पेश की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली निर्णय दिनांक 16.07.2013 व दिनांक 26.08.2013 बाबत नामान्तकरण संख्या 447 वाके ग्राम रामपुरा, तहसील कोटपूतली को अपास्त किया जाकर अपीलान्टस व तरतीबी रेस्पोडेन्ट के पक्ष में नामान्तरकरण खोले जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

6. रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता ने बहस में मुख्य रूप से अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत सजरा गलत है, भ्रामक है तथा मनमर्जी का है स्व0 आनन्दीलाल का एक मात्र वारिस हरसहाय था इसकी ताईद डिस्ट्रिक्ट कलक्टर, झुन्झुनूं के कुर्सीनामा दिनांक 12.03.1948 से स्पष्ट है। हरसहाय पुत्र आनन्दीलाल के फौत होने पर माननीय राजस्व राजस्थान, अजमेर में प्रकरण मातमी से 1956/156 डी.बी. में बाद जांच विधिवत सुनवाई के निर्धारत किया गया है। श्री नारायण ग्रान्टी की नसल में है "गंगासहाय फौत हो चुके है इसलिये धारा 14 जयपुर मातमी ग्रान्ट

संभागीय आयुक्त
जयपुर

रूल्स सन् 1945 के तहत सीनियर है तथा कोई उज्रदार नहीं है अतः मातमी ग्रान्ट की जाती है इस प्रकार बदरी व जगदीश का नाम मातमी सजरे में नहीं है। अतः स्पष्ट है कि राजस्व मण्डल राजस्थान में पारित उक्त विवेचन निर्णय के अनुसार हरसहाय पुत्र मुरलीधर के लडके को गोद लेने का तथ्य बिल्कुल गलत व मनगर्जी से किया गया है। मान्य नहीं है। अपीलान्ट ने कोई स्वीकार्य गोद दस्तावेज उत्तराधिकारी प्रमाण–पत्र या प्रोबेट–लेटर ऑफ रजिस्ट्रेशन भी पेश नहीं किया है। रेवेन्यू बोर्ड द्वारा आनन्दीलाल भी सारी जायदाद का उत्तराधिकारी या मालिक श्री नारायण को ही माना है। इसलिए अपीलान्ट्स का इससे कोई लेना देना नहीं है। जगदीश हरसहाय का दत्तक पुत्र स्वीकार नहीं किया जा सकता। 11.09.1956 बसिलसिले मातमी सीकर 1956/155 में स्पष्ट रूप से जगदीश हरसहाय का दत्तक पुत्र स्वीकार नहीं किया जा सकता। 11.09.156 बसिलसिले मातमी रीकर 1956/155 में स्पष्ट रूप से जगदीश हरसहाय की उज्रदारी खारिज हो चुकी है तथा पूर्व मातमी के सजरे में भी इनका नाम नहीं है। इस प्रकार भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 115 के तहत भी ये कानूनी रूप से विबन्धन के तहत आते है। अपीलान्ट या इनके पूर्वज किसी भी रूप से स्व0 श्री नारायण पुत्र हरसहाय पुत्र आनन्दीलाल के वारीस पर निकट रक्त के सम्बन्धी भी नहीं है। इन्होंने कभी हरसहाय या आनन्दीलाल या जागीर माफी का कभी कोई सेवा पूजा अन्त्येष्टि या संस्कार नहीं किए है। अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा की गई जांच एवं विरासत के प्रमाणांकन को भी निर्णय में आधार माना है। हरसहाय पुत्र आनन्दीलाल ब्राहमण विवादित भूमि का काश्तकार था उत्तराधिकार कानून से पूर्व स्टेट के मातमी रूल्स प्रचलित थे तथा राजस्व मण्डल द्वारा विधिवत मातमी जारी हुई है जो सही है तथा एस.डी.ओ. के निर्णय दिनांक 27.03.59 से भी स्पष्ट है ये निर्णय तीस वर्ष पुराने है तथा अविवादित है इनको कभी चुनौती भी नहीं दी गई है इस प्रकार श्रीनारायण की विरास्त इन दस्तावजों से स्पष्ट साबित है। अपीलान्ट्स ने जो इकरारनामा इकतरफा ही विधि विरूद्ध है। तहसीलदार ने हरसहाय के विधिवत वारीसान की जांच कर रिपोर्ट पर निर्णय पारित किया है। गिरदावर की रिपोर्ट सक्षम न्यायालय के आदेश के बाद कोई महत्व नहीं रखती है। अतः अपील खारिज की जावे।

7. प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट ने आक्षेपित आदेश की अपील माननीय ए.डी.एम. कोटपूतली जिला जयपुर के समक्ष पेश कर गयी थी जो कि दिनांक 09.01.2014 द्वारा क्षेत्राधिकारी के बिन्दु पर खारिज फरमा दी गयी थी। तब अपीलार्थी की जानकारी में आया था कि आक्षेपित आदेश के विरूद्ध अपील माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर में पेश की जानी थी। पूर्व में अपीलार्थी द्वारा त्रुटिवश अपील माननीय न्यायालय में पेश नहीं की जा सकी थी। जिसके कारण अपील पेश करने मे देरी होना बताया गया है। अतः न्यायहित में अपीलांट द्वारा पेश किए गये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किए जाकर अपील पेश करने में हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि मुख्य विवाद वस्तुतः वाद में विवादित आराजी खसरा नम्बर 434/1035, 436 से 441, 447 से 467 एवं 469 से 480 रकबा 8.36 ग्राम हैक्टेयर वाके मौजा रामपुरा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर राजस्थान में स्थित है, जिसका रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हरसाय पुत्र आनन्दी लाल जाति ब्राह्मण के नाम से थी। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 14 ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम रामपुरा में खाता संख्या 227 किता 40 रकबा 8.36 हैक्टेयर है। जिसमें हरसहाय पुत्र आनन्दीलाल कौम ब्राहमण सा. देह रामपुरा के दत्तक पुत्र श्रीनारायण पुत्र गंगासहाय के वारिसों के विरासत का नामान्तरकरण दर्ज करवाने का निवेदन किया गया। दिनांक 16.07.2013 को तहसीलदार कोटपूतली ने दिनांक 16.07.2013 को पटवारी हल्का पण्डितपुरा को आदेश दिये गये कि मुताबिक मृत्यु प्रमाण पत्र एवं तहसीलदार श्रीमाधोपुर एवं ग्राम पंचायत अजीतगढ से प्राप्त वारिस प्रमाण पत्रों के मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड में विरासत का नामान्तकरण दर्ज कर फैसल करावें। तहसीलदार कोटपूतली जिला जयपुर ने दिनांक 26.08.2013 से विवादित भूमि का नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट संख्या

संभागीय आयुक्त
जयपुर

2 लगायत 14 के नाम खोल दिया गया। यह स्वीकृत तथ्य है कि राजस्व रिकार्ड के अनुसार वाके ग्राम मौजा रामपुरा तहसील कोटपूतली की कृषि भूमि हरसहाय पुत्र आनन्दी लाल जाति ब्राहमण के नाम से दर्ज रही है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी जाहिर है कि गिरदावर हल्का की रिपोर्ट दिनांक 22.08.13 के अनुसार मौके पर हरसहाय पुत्र आनन्दीलाल ब्राहमण के दर्ज वारिसान का कब्जा नहीं है एवं निर्णय में हरसहाय खातेदार नाऔलाद फौत हो गया है। जिसके विधिक वारिसान के साक्ष्य नहीं है तथा पुनः विधिक वारिसान की जांच पश्चात ही निर्णय फरमाने की रिपोर्ट की गयी है साथ ही अपीलार्थीगण भी अपने पूर्वज जगदीश को वादग्रस्त आराजी के खातेदार मृतक हरसहाय पुत्र आनन्दीलाल के गोद जाना कथन किया है। जिससे जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में बिना विस्तृत जांच किये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.07.2013 पारित किया गया है, जो विधिसम्मत प्रतीत नहीं होता है, ऐसी स्थिति में प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित होगा।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थीगण आंशिक स्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार कोटपूतली द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.07.2013 एवं नामान्तरकरण संख्या 447 वाके ग्राम रामपुरा तहसील कोटपूतली पर पारित आदेश दिनांक 26.08.2013 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उपभपक्ष को साक्ष्य, सबूत एवं दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर एवं भूमि विवादग्रस्त के सम्बन्ध में मौके की जांच कर प्रकरण में पुनः विधिसम्मत कार्यवाही की जावे।

(डॉ0 अरूषी मलिक)
संभागीय आयुक्त
जयपुर।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 27.02.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

संभागीय आयुक्त
जयपुर